निर्यात क्लस्टर के लिए ब्लॉक में कहीं से भी चुन सकेंगे कृषि भूमि

वर्तमान में 50 एकड़ के क्लस्टर में 20-20 एकड़ कृषि भूमि की निरंतरता जरूरी

महेंद्र तिवारी

लखनऊ। प्रदेश सरकार कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए करीब डेढ़ वर्ष पूर्व तैयार नीति की बड़ी अड़चन दूर करने जा रही है। अब किसानों को निर्यात क्लस्टर के लिए पूरे ब्लॉक से कृषि भूमि चुनने की छूट होगी। मंडी शुल्क में छूट के लिए दी जाने वाली बैंक गारंटी तय समय में वापस करने का प्रावधान भी करने की तैयारी है।

दरअसल, सरकार ने कृषि निर्यात को दोगुना करने व राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 13 सितंबर-2019 को प्रदेश की कृषि निर्यात नीति जारी की थी। इसमें निर्यात क्लस्टर के लिए न्यूनतम 50 हेक्टेयर कृषि भूमि होने की शर्त लगाई और इसमें 20-20 हेक्टेयर की आपस में निरंतरता की शर्त और जोड़ दी गई। नतीजा ये हुआ कि कृषि निर्यात के लिहाज से खेती के लिए क्लस्टर ही नहीं बन पा रहे। प्रदेश में करीब 93 फीसदी लघु व सीमांत किसान (दो हेक्टेयर से कम जोत वाले) होने के बावजूद 20-20 हेक्टेयर की निरंतरता की शर्त अदूरदर्शी निर्णय साबित हुआ। इस चूक का एहसास होने के बाद क्लस्टर का दायरा व्यावहारिक बनाने की तैयारी है।

कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों की सबसे बड़ी रुकावट का प्रावधान बदलने की तैयारी

प्रस्ताव के मुताबिक-नीति के तहत निर्यात क्लस्टर के लिए न्यूनतम 50 हेक्टेयर कृषि भूमि की व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन यह कृषि भूमि ब्लॉक की सीमा में हो सकेगी। इस तरह बड़ी संख्या में लघु व सीमांत किसान मिलकर क्लस्टर में खेती कर निर्यातक बन सकेंगे। इससे क्लस्टर के लिए भूमि उपलब्धता की अड़चन दूर हो जाएगी और छोटे-मझोले किसान तक नीति का लाभ पहुंच सकेगा। संशोधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर लागू करने की योजना है। प्रस्ताव पर विभागों से विचार-विमर्श चल रहा है।

30 दिन में वापस होगी मंडी शुल्क व विकास सेस की गारंटी राशि

मौजूदा नीति में व्यवस्था है कियूपी कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुरूप निर्यात दायित्व सिद्ध करने के बाद निर्यात पर मंडी शुल्क व विकास सेस से छूट मिलेगी। यह लाभ सामान्यतः पांच वर्ष तक मिल सकेगा। अब प्रस्ताव है कि निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व सिद्ध करने की तिथि तक निर्यात पर देय मंडी शुल्क व विकास सेस से छूट के बराबर की राशि बैंक गारंटी के रूप में दी जाए। यह मंडी समिति में जमा होगी। निर्यात दायित्व सिद्ध होने के 30 दिन में बैंक गारंटी मुक्त कर दी जाएगी। निर्यात दायित्व सिद्ध न होने पर संबंधित मंडी के सचिव द्वारा निदेशक कृषि विपणन व कृषि विदेश व्यापार को प्रकरण संदर्भित किया जाएगा। निदेशक बैंक गारंटी की धनराशि मंडी के पक्ष में जब्त करने के संबंध में निर्णय लेंगे।

इन्हें होगा लाभ

किसानों, कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ/एफपीसी) अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत गठित कृषक उत्पादक समूह से सीधे क्रय करने पर मंडी शुल्क शत प्रतिशत व विकास सेस में शत-प्रतिशत की छूट मिलने का प्रावधान है। आढ़तियों से खरीद पर भी मंडी शुल्क की शत-प्रतिशत छूट की व्यवस्था है, लेकिन विकास सेस देने का प्रावधान है। नीति में संशोधन से इन्हें ये लाभ आसानी से मिल सकेंगे।